

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 09/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्रीमती विष्णु देवी पत्नि रतनलाल कुम्हार निवासी अरनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीया

बनाम

1. भैरूलाल पिता प्यारा जाट
2. दियाराम पिता कुशल गाडरी
3. नारु पिता लालु बैरवा
4. शंकर पिता गेन्दा बैरवा
5. नन्दा पिता गेन्दा बैरवा
6. गोकल पिता धन्ना बैरवा
7. देवकिशन पिता नाथु बैरवा
8. भोना पिता किशोर बैरवा

सर्व निवासी अरनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-22.04.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम अरनिया पटवार हल्का अरनिया तहसील सहाड़ा के प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 58 रकबा 1.05 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 303 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अरनिया पटवार हल्का अरनिया तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 58 रकबा 1.05 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- ( पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- ( पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सी0एल0शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर (भीलवाड़ा)

वराने, घास आदि काटने में दखलान पक्षकारान आपस

लि  
विष्णुदेवी